

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 12 मई, 1995

संख्या जे0 डी0 – 95/5567– पंजाब अनुसूचित सड़कें तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उप धारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा निर्मित समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट और इसके साथ संलग्न नक्शे में दिखाए गये राजकीय प्राथमिक विद्यालय राघराना जिला गुड़गांव के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

गांव राघराना, जिला गुड़गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस-पास के अतिरिक्त नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0टी0पी0 (जी) 570/95 दिनांक 21 फरवरी, 1995, के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'ए' से आरम्भ होकर अर्थात् जहां यह हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 12 अप्रैल, 1983 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 13281/10 डी0पी-83/2596 दिनांक 22/23 फरवरी 1983 द्वारा घोषित सुलतानपुर पर्वटन केन्द्र और पक्षी शरण स्थल की नियन्त्रित क्षेत्र सीमा गांव सघराना के राजस्व आयत संख्या 106 के उत्तर पश्चिमी कोने के साथ मिलती है, इसके बाद हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 12 अप्रैल, 1983 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 13281/10 डी0पी-83/2596 दिनांक 22/23 फरवरी 1983 द्वारा घोषित सुलतानपुर पर्वटन केन्द्र और पक्षी शरण स्थल की नियन्त्रित क्षेत्र सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर बिन्दु "बी" तक अर्थात् गांव सघराना की आयत संख्या 11 का उत्तर-पश्चिमी कोना, इसके बाद गांव सघराना की उत्तरी सीमा के साथ-2 पूर्व की ओर बिन्दु "सी" तक जहां यह बुधेड़ा-हरसस राजस्व रास्ता की सीमा की पश्चिमी सीमा से मिलती है।

पूर्वी: इसके बाद उक्त रास्ता की पश्चिमी सीमा के साथ-2 दक्षिण-पूर्व की ओर उस बिन्दु तक यह गांव सघराना की राजस्व आयत संख्या 63 की उत्तरी सीमा के साथ मिलती है, इसके बाद आयत संख्या 55 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर इसके दक्षिण पश्चिमी कोने तक इसके बाद आयत संख्या 64 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण की ओर इसके दक्षिण पूर्वी कोने तक, इसके बाद आयत संख्या 64 की दक्षिणी सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर इसके दक्षिण पश्चिमी कोने तक, इसके बाद आयत संख्या 81,93,106 तथा 116 की पूर्वी सीमा के साथ-2 दक्षिण और बिन्दु "डी" तक जहां यह गांव बाजीरपुर की उत्तरी सीमा और हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 31 जनवरी, 1994 में प्रकाशित हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 94/795 दिनांक 25 जनवरी 1994 द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांव हमीरपुर के आस-पास घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ मिलती है।

दक्षिण: इसके बाद पश्चिम की ओर हरियाणा सरकार के राजपत्र दिनांक 31 जनवरी, 1994 में प्रकाशित, हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या पी0 सी0 94/795 दिनांक 25 जनवरी 1994 द्वारा गांव हमीरपुर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के आस-पास घोषित नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा के साथ-2 पश्चिम की ओर बिन्दु "ई" तक अर्थात् गांव सघराना, गांव हमीरपुर और गांव सैयदपुर-मोहम्मदपुर का सीमा बिन्दु।

पश्चिम: इसके बाद उत्तर की ओर गांव सघराना की आयत संख्या 100 की पश्चिमी सीमा के साथ-2 बिन्दु 'ए' तक अर्थात् जो आरम्भिक बिन्दु।

प्रदीप कुमार,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

872

HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JAN.31, 1994 (MAGHA 11, 1915 SAKA)
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
Notification

The 12th May, 1995

No. JD/95/5567- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the area around Government Primary School, Sadhrana, district Gurgaon, as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto, to be a controlled area for the purpose of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of boundary of the controlled area around Government Primary School at village Sadhrana, district Gurgaon, to be read with Drawing No. DTP(G) 570/95, dated the 21st February, 1995.

North: Starting from point 'A' i.e. where the controlled area boundary of Sultanpur Tourist complex and Bird Sanctuary declared, - vide Haryana Government Town and Country Planning Department Gazette Notification No. 13281/10 DP-83/2596, dated the 22nd/23rd February, 1983 published in Haryana Government Gazette dated the 12th April, 1983 meets with the North Western corner of revenue rectangle No. 100 of village Sadhrana, thence towards east along the controlled area boundary of Sultanpur Tourist Complex and Bird Sanctuary declared, - vide Haryana Government Town and Country Planning Department Gazette notification No. 13281/10DP-83/2596, dated 22nd / 23rd February, 1983 published in Haryana, Government Gazette dated 12th April, 1983 upto point 'B' i.e. the north-western corner of rectangle no. 11 of the village Sadhrana, thence towards east along the northern boundary of village Sadhrana upto the point 'C' where it intersects the western boundary of Budhera Harsaru Revenue Rasta.

East: Thence towards south east along the western boundary of the said rasta upto the point where it intersects the northern boundary of revenue rectangle no. 63 of village Sadhrana thence towards west along the southern boundary of rectangle no. 55, up to its south western corner, thence towards south along the eastern boundary of rectangle no. 64 up to its south eastern corner, thence towards west along the southern boundary of rectangle no. 64 upto its south western corner, thence towards south along the eastern boundary of rectangle no.81,93,106 and 116 upto point 'D' where it meets the northern boundary of village Wazirpur and the boundary of controlled area already declared around Government Primary School at village Hamirpur, -vide Haryana Government Town and Country Planning Department Gazette notification No. PC-94/795, dated the 25th January, 1994 published in Haryana Government Gazette dated the 31st January, 1994.

South: Thence towards west along the controlled area boundary declared around Government Primary School at village Hamirpur, -vide Haryana Government Town and Country Planning Department Gazette notification No. PC-94/795, dated the 25th January, 1994 published in Haryana Government Gazette dated the 31st January, 1994 upto point 'E' i.e. the Trijunction of villages Sadhrana, Village Hamirpur and Village Saidpur-Mohammadpur.

West: Thence towards north along the western boundary of rectangle no.100 of Village Sadhrana upto point 'A' i.e. the point of start.

PRADEEP KUMAR
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department.